संख्या-86/2021/457/23-9-2021-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-296/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/20, दिनांक 16.03.2021, पत्र संख्या-297/37पी0जे0 (आ0)/आर.एस.डी.-5/20, दिनांक 17.03.2021 एवं पत्र संख्या-299/37पी0जे0 (आ0)/आर.एस.डी.-5/20, दिनांक 18.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत 03 जनपदों यथा मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर व गौतमबुद्ध नगर के 05 चालू कार्यो हेतु सूची के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 10,62,61,000/- (रूपये दस करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि 0	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	03/2020 तक आवंटन/व्यय	वर्ष 2020-21 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RIDF -25	मिर्जापुर	पडरी छीतमपुर शक्तेशगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	18.00	2169.81	0.87	325.47	1843.47	300.00
2	RIDF -25	मिर्जापुर	अदलहाट भूइली शेरवा सिकन्दरपुर मार्ग के कि0मी0 10.00 से 22.84 तक के भाग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	12.84	2481.09	0.87	872.16	1608.06	335.19

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि 0	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	03/ 2020 तक आवंटन/ व्यय	वर्ष 2020-21 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	RIDF -25	मुजफ्फर नगर	कूकड़ा मण्डी से भण्डूरा होते हुये कि0मी0 10 तक (मु0नगर जौली बेहड़ा सादात) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/ 426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/ 2020, दि0 27.03.20	10.000	1729.88	0.87	691.94	1037.07	200.00
4	RIDF -25	गौतम बुद्ध नगर	छपरौला से बिसरख मार्ग के कि0मी0 1 से 5 (70) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/ 426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/ 2020, दि0 27.03.20	2.695	590.30	32.87	193.06	364.37	100.00
5	RIDF -25	गौतम बुद्ध नगर	दुजाना-सादुल्लानगर-खेड़ी- दादरी बाईपास तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/ 426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/ 2020, दि0 27.03.20	12.300	1255.51	32.87	338.33	884.31	127.42
				योग-	**55.835**	**8226.59**	**68.35**	**2420.96**	**5737.28**	**1062.61**

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6- इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 83-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
7- लोक निर्माण अनुभाग-10।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।